जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 209 वीं बैठक दिनांक 13.02.2014 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में ''चिन्तन'' कक्ष मे आयोजित की गई। बैठक में एजेंण्डा संख्या 1 व अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 1, 2, 10, 11 व 12 तक अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक एम.पी./बी.पी.सी.(एल.पी–I) शाखा द्वारा प्रस्तुत किये गये एवं अतिरिक्त मुख्य नगर नियेाजक बी.पी.सी.(एल.पी.–II) द्वारा एजेण्डा संख्या 3 से 11 व अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 3 से 9 प्रस्तुत किए गए एवं बैठक में लिए गये निर्णयों का कार्यवाही विवरण संबंधित अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक शाखा द्वारा तैयार किए गए/जिसका अनुमोदन सर्वसम्मिति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

बैठक मे समिति के निम्न सदस्यो ने भाग लियाः–

1. श्री पवन अरोड़ा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती लंवग शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
3. श्री त्रिभुवनपति, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमती नलिनी कठोतिया, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर।
5. श्री चन्द्रशेखर पाराशर, सदस्य सचिव, अति. मुख्य नगर नियोजक (बीपीसी–एलपी), जविप्रा, जयपुर।
6. श्रीमती आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियेाजक (मा.प्लान), जविप्रा, जयपुर।

बैठक में विशेष आमंत्रित निम्न अधिकारी उपस्थित हुएः–

1. श्री अनिता चौधरी–उपायुक्त जोन–2, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री सुनील भाटी, उपायुक्त जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री ओंमकारमल सैनी, उपायुक्त जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री रामरतन शर्मा, उपायुक्त जोन–10 ए, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री संजय जैन, उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री हरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–12, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री प्रवीण अग्रवाल, उपायुक्त जोन–13 ए, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री अवधेश सिंह, उपायुक्त जोन–14, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री हरी सिंह मीणा, उपायुक्त जोन–15, जविप्रा, जयपुर।
10. श्रीमती उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री मृणाल जोशी, उप नगर नियोजक, एल.पी.–I, जविप्रा, जयपुर।
12. श्री गोपाल सैनी, उप नगर नियोजक, जोन–13 व 13 ए, जविप्रा, जयपुर।
13. सहायक नगर नियोजक, जविप्रा जोन–7, 14 व 15, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः–

एजेण्डा

209 / 13.02.2014

विषय :–बी.पी.सी.(एल.पी.) बैठक क्रमांक 208 वीं बैठक दिनांक 28.11.2013 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् उपरोक्तानुसार कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा

209 / 13.02.2014

विषयः– सेक्टर प्लान की प्रगति रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा सेक्टर प्लान बनाये जोन की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा पश्चात निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन–2 एवं जोन–10 ए द्वारा 2 दिवस में सेक्टर 75 व 76 से सम्बन्धित सभी कमिटमेन्टस नक्शे में मार्क कर प्रमाणित कर मय ले–आउट / रिकार्ड मा.प्लान शाखा को प्रेषित करेगें तथा कमिटमेन्ट प्राप्त होते ही 60 दिवसीय कार्य योजना के अनुरूप में सेक्टर प्लान तैयार किये जाएगें।

यह भी निर्णय लिया गया कि 30 जून 2014 तक बाकी सभी सेक्टर प्लान के प्रारूप तैयार किये जावे। इस हेतु अतिरिक्त संसाधन व मेनपावर उपलब्ध करवाये जाने की यदि आवश्यकता हो तो इस हेतु मांग पत्रावली पर पृथक से पेश की जाए।

एजेन्डा संख्या –1

209 / 13.02.2014 (जोन–2)

विषय :– गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गोविन्द नगर पश्चिम (प्रथम) के भूखण्ड संख्या 203 बी की स्थिति में संशोधन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श पश्चात भूखण्ड संख्या 203 की स्थिति में संशोधन नहीं कर, अनुमोदित मानचित्र के अनुसार भूखण्ड की स्थिति को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–2

209 / 13.02.2014

विषय :– निजी खातेदार व अन्य आवासीय योजनाओं में इनफोरमल कॉमर्शियल के लिए नीतिगत निर्णय बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि दो हैक्टेयर से कम की आवासीय योजनाओं में कुल भूखण्डों की संख्या की पांच प्रतिशत दुकाने, न्यूनतम साइज 10 फिट x 10 फिट की प्रस्तावित की जावें। इस हेतु प्रावधान टाउनशिप पॉलीसी में समावेश करने हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर आदेश जारी किया जावें।

एजेण्डा संख्या–3

209 / 13.02.2014 (जोन–7)

विषय :–प्लाट नं. 465 हनुमान नगर विस्तार में सैटबैक संशोधन करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि यह योजना पुरानी है एवम अधिकांश भूखण्डों पर आवासीय मकान बन चुके है, अतएव स्वीकृत योजना मानचित्र में दर्शित सैटबैक में कोई परिवर्तन नहीं किया जावें।

एजेण्डा संख्या–4

209 / 13.02.2014 (जोन–08)

विषय :– निजी खातेदार की आवासीय योजना श्री कृष्णा नगर के भूखण्ड संख्या 54 से 71 के पुनर्गठन बाबत्।

एजेण्डा संख्या–9

209 / 13.02.2014 (जोन–14)

विषयः–राजस्व ग्राम–बृजनाथपुरा, तहसील–चाकसू की 11.75 हैक्ट. भूमि पर योजना "आनन्द रेजीडेन्सी" के आवासीय प्रयोजन हेतु मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक द्वारा भूखण्डों के ब्लॉक पूर्व–पश्चिम देकर प्रस्तावित योजना बनायी गयी है। प्रस्तावित योजना में रोड जक्शन अत्याधिक प्रस्तावित है, जिससे दुर्घटना की काफी सम्भावना रहती है, अतएव आवेदक से चारों दिशाओं की ओर भूखण्डों के ब्लॉक प्रस्तावित करवाकर, उपरोक्तानुसार संशोधित मानचित्र निदेशक आयोजना व आयुक्त महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर जारी किया जावें।

एजेण्डा संख्या–10

209 / 13.02.2014 (जोन–15)

विषयः– ओमेक्स सिटी योजना के ब्लॉक नं. 11 में भूखण्ड संख्या 341 व भूखण्ड संख्या 344 को निरस्त करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात जोन के प्रस्ताव को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–11

209 / 13.02.2014 (जोन–15)

विषयः– ग्राम–झाई के खसरा नं. 502, 503, 504 / 1, 478, 479, 480, 481, 482, 484 व 500 कुल रकबा 2.9091 हैक्ट. भूमि पर ग्रुप हाऊसिंग आवासीय एकल पट्टा जारी करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि आवेदक द्वारा अपना प्रस्ताव संशोधित करने हेतु दिनांक 10.02.2014 को

पत्र दिया है, अतः तदानुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त होने पर समुचित परीक्षण कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें, तब तक प्रकरण स्थगित रखा जावें।

अध्यक्ष महोदय की अनुमती से निम्न अतिरिक्त एजेंण्डो पर भी विचार किया गया।

अतिरिक्त एजेन्डा संख्या :–1

209 / 13.02.2014 (जोन–4)

विषयः– ग्राम सवाई गैटोर के ख.न.570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 589 / 1394, 590, 291, 592, 593, 594, 595, 596, 596 / 1393, 597, 598, 599, 60, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 522 / 1379, 523, 523 / 1395, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 538 / 1392, 539, 540, 541, 542, 543, 523 / 1378, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 568, 569, 549 / 1391, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 511, 510, एवं ग्राम चैनपुरा के ख.न. 315, 316, 317, 317 / 372, 318, 319, 320, 321, 322,323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 341 / 402, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 330 / 383, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 232, 224, 225, 226, 228, 230, 311, 312, 314, 310, 309 पर सृजित न्यू पिंकसिटी गृ.नि.समिति की योजना सिद्वार्थ नगर ए के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया व निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि –

1. सिद्धार्थ नगर–A के प्रस्तुत ले–आउट प्लान को अनुमोदित किया गया। सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित भूखण्डों का नियमन नही किया जावें। स्थगन आदेश अप्रभावी/खारिज होने पर जोन स्तर पर प्रकरण का परीक्षण किया जाकर नियमन की कार्यवाही की जावे।
2. जिन भूखण्डो के सामने अविवादित भूमि की सड़क पूर्ण रूप से मौके पर प्राप्त होती है उन्ही भूखण्डो के पट्टे जारी किये जावे।
3. योजना में अधिकतर भूमि अवाप्तशुदा है अतः निर्णय लिया गया कि योजना के निर्माण गैर विवादित भूमि में दर्शित भूखण्ड जिनमें निर्मित मकान एवं बाउन्ड्रीवाल जो कब्जा साबित करती हो, का नियमन सरकारी भूमि की दर निर्मित मकानों का मानते हुए केवल आवासीय नियमन किया जावे।
4. मौके पर रिक्त भूमि का नियमन निम्न शर्तो के साथ किया जावे।
   i. प्रार्थी द्वारा मौके पर बाउन्ड्रीवाल निर्मित होने व कब्जा साबित होने के उपरान्त ही नियमन समिति के आवंटन पत्र व कोपरेटिव सैल, जविप्रा में नाम प्रतिस्थापित किये जाने की स्थिति में नियमन किया जा सकेगा।
   ii. विवादित भूखण्डों के बारे में जो भी न्यायालय का निर्णय होगा तद्नुसार जोन उपायुक्त द्वारा पालना की जावेंगी। विवाद यथा कोर्ट केस आदि के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित अण्डरटेकिंग दी जाये कि "किसी भी विवाद की स्थिति में जविप्रा को पटटा निरस्त करने का अधिकार रहेगा व प्रार्थी द्वारा जविप्रा पर किसी भी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।"
5. भूखण्ड पूर्णतया अविवादित होने पर, जोन द्वारा प्रशासनिक स्तर पर जांच किये जाने के पश्चात कि भूखण्ड पर कोई विधिक विवाद, कब्जा सम्बन्धी विवाद तो नही है, का पूर्ण परीक्षण पश्चात ही भूखण्डों के पट्टे जारी किये जावें।

एजेन्डा में वर्णित बिन्दु संख्या 7,8,9,10,11,12,13 व 15 का जोन प्रस्ताव व उपरोक्तानुसार निर्णय के परिपेक्ष्य में अनुमोदन किया जावे।

<u>अतिरिक्त एजेन्डा संख्या :– 2</u>

209 / 13.02.2014 (जोन–4)

विषयः– गोकुल वाटिका गृह नि.स.स की योजना गोकुल वाटिका के भू.स. E-11 व E-12 मे दिये गये पंच निर्णय के अनुसार योजना मानचित्र संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श पश्चात भूखण्ड E-11 व E-12 के समक्ष 30′ रोड रखी जाकर भूखण्डो का नियमन किये जाने का निर्णय लिया गया, ताकि ले–आउट में दर्शाई गई 40′ की सड़क को आगे 30′ लिंक उपलब्ध हो सके।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–3</u>

209 / 13.02.2014 (जोन–14)

विषयः– ग्राम चंदलाई तहसील चाकसू की भूमि पर सृजित श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की आवासीय योजना गणेश विहार विस्तार के ब्लॉक डी, के, एल, ओ, पी, आर में 10 प्रतिशत से कम निर्माण बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि योजना के संबंध में सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए नियमानुसार राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर योजना अनुमोदन की कार्यवाही की जावें।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–4</u>

209 / 13.02.2014 (जोन–9)

विषयः–ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर के खसरा संख्या 51 में से कुल किता 1 रकबा 0.37 हैक्ट. भूमि का व्यावसायिक (एकल पट्टा) मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि मास्टर विकास योजना व भवन विनियमों के प्रावधानानुसार सम्पूर्ण भू–भाग का व्यवसायिक एकल पट्टा जारी किया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–5

209 / 13.02.2014 (जोन–11)

विषयः–आवासीय योजना "दादू दयाल सागर" के मानचित्र में ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आई. जी. हेतु आरक्षित रखे गए भूखण्डों को सामान्य आवासीय भूखण्ड के रूप में अनुमोदित करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक : एफ–3 (663) नविवि / 3 / 2012 दिनांक 18.07.2012 के अनुसार जिन योजनाओं की भूमि की 90बी की कार्यवाही दिनांक 23.12.2009 से पूर्व की जा चुकी है उन पर अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी के प्रावधानानुसार ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आई.जी. हेतु क्षेत्र / भूखण्ड आरक्षित किया जाना आवश्यक नहीं है, अतएव जोन के प्रस्तावानुसार ई.डब्ल्यू. एस. / एल.आई.जी. के भूखण्ड रिलीज कर दिये जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–6

209 / 13.02.2014 (जोन–13ए)

विषयः–ठाकुर मानसिंह पुत्र स्व. श्री ठाकुर मोहन सिंह द्वारा राजस्व ग्राम कानोता की आवासीय योजना अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक द्वारा भूखण्डों के ब्लॉक पूर्व–पश्चिम देकर प्रस्तावित योजना बनायी गयी है। प्रस्तावित योजना में रोड जंक्शन अत्याधिक प्रस्तावित है, जिससे दुर्घटना की काफी संभावना रहती है। सडकें ग्रीन स्ट्रीप से बंद की गई है, जिससे वाहनों के मुड़ने में कठिनाई होगी। अतः ग्रीन

एरिया–पार्क एक जगह प्रस्तावित करवाया जावें। उपरोक्तानुसार संशोधित मानचित्र निदेशक आयोजना व आयुक्त महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर जारी किया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–7

209 / 13.02.2014 (जोन–9)

विषयः–खसरा नं. 263 रामनगरिया तहसील सांगानेर का जारी आवासीय एकल पट्टे क्षेत्रफल 4637.30 वर्ग मीटर के उप विभाजन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् जोन के प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया, भूखण्ड क्षेत्रफल 4637.30 वर्ग मीटर के उपविभाजन का है, अतः राज्य सरकार से स्वीकृति ली जाकर निष्पादन किया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–8

209 / 13.02.2014 (जोन–14ए)

विषयः–मैसर्स टाईम लाईन लैण्ड डवलपर्स एल.एल.पी. जरिये देव सुमन सैनी द्वारा ग्राम रामपुरा बास गोनेर तहसील चाकसू की कुल रकबा 13.35 हैक्ट. भूमि पर आवासीय योजना का मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक द्वारा भूखण्डों के ब्लॉक पूर्व–पश्चिम देकर प्रस्तावित योजना बनायी गयी है। प्रस्तावित योजना में रोड जंक्शन अत्याधिक प्रस्तावित है, जिससे दुर्घटना की काफी सम्भावना रहती है, अतएव आवेदक से चारों दिशाओं की ओर भूखण्डों के ब्लॉक प्रस्तावित करवाकर, उपरोक्तानुसार संशोधित मानचित्र निदेशक आयोजना व आयुक्त महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर जारी किया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–9

209 / 13.02.2014 (जोन–15)

विषयः–ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 250 / 1762, 252, 253, 254 / 1761, 255 / 1760, 256, 255, 248, 249, 250, 254, कुल किता 11 रकबा 4.685 हैक्ट. में आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा जारी करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 26.02.2013 के अनुसरण में आवेदक के प्रस्ताव के अंतर्गत सडकों का क्षेत्र 19.08 प्रतिशत हो रहा है। अतः आवेदक की भूमि के पश्चिम की ओर स्थित सरकारी भूमि खसरा नं. 257, 258 के लिए आवागमन मार्ग की चौडाई 18 मीटर किये जाने की शर्त के साथ 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र की छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया। भूखण्ड का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर से अधिक है अतएव राज्य सरकार से स्वीकृति ली जाकर प्रकरण का निष्पादन किया जावें।

अतिरिक्त एजेन्डा संख्या :–10

209 / 13.02.2014 (जोन–13)

विषयः– सैक्टर 35 में प्रस्तावित 160 फीट सैक्टर रोड के अलाईन्मेंट परिवर्तन बाबत। (आवेदक उम्मेद खॉ, सचिव कायम एज्यूकेशन फाउण्डेशन द्वारा सेक्टर प्लान–35 में प्रस्तावित 160′ सेक्टर रोड़ के अलाईमेन्ट को कायम एज्यूकेशन संस्था की भूमि के दक्षिण भाग में से होकर अलाईमेन्ट परिवर्तन बाबत्।)

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श पश्चात एजेन्डा में दिये गये प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया।

अतिरिक्त एजेन्डा संख्या :–11

209 / 13.02.2014 (जोन–13)

विषयः– रैना डवलपर्स प्रा.लि. ग्राम–हरमाडा, तहसील–आमेर खसरा नम्बर 913 / 780 रकबा 0.1549 हैक्टेयर।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया गया। मास्टर विकास योजना 2025 के भाग (iv) के Clause 10.14 के अनुसार चूंकि इस प्रकरण में जविप्रा अधि.1982 की धारा 25(3) की कार्यवाही मास्टर विकास योजना 2025 लागू होने से पहले की जा चुकी थी। अतः भूखण्ड का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें बिन्दु सं. 10.14 के तहत G+1 तक ही निर्माण स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेन्डा संख्या :–12

209 / 13.02.2014 (जोन–2)

विषयः– शिव विकास समिति द्वारा प्रस्तुत शिव विहार योजना मुकेश विद्यालय के पीछे, लक्ष्मीनारायणपुरी, सूरजपोल गेट के बाहर का नियमन किये जाने बाबत्।

उपायुक्त जोन–2 द्वारा बैठक के दौरान ही शिव विहार योजना के प्रकरण का अतिरिक्त एजेण्ड़ा बीपीसी (एल.पी.) की बैठक में प्रस्तुत किया गया। एजेण्ड़ा प्रस्ताव पर विचार विमर्श में उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त योजना सूरजपोल क्षेत्र में Walled City के साथ ही काफी पुराने समय से बसी हुई है जिसमें बहुत पुराना सघन निर्माण है व आंतरिक सड़के 8' से 16' तक स्थित है।

समिति द्वारा उक्त परिस्थिति को देखते हुए चूंकि यह योजना बहुत पुराने समय से बसी हुई है अतः प्रशासन शहरो के संग अभियान के तहत योजना की आंतरिक सड़को को 20' चौड़ा रखते हुए स्वीकृत किया जावे व सेटबेक रोड़ के लिये समर्पित भूमि के बराबर कम माना जाकर अन्य मानदण्ड़ जविप्रा भवन विनियम 2010–11 के तहत रखते हुए ले–आउट प्लान एवं उत्तर दक्षिण सड़क जो कि मुख्य दो सड़कों को जोड़ती है। अतः सड़क मार्गाधिकार

30′ रखा जाकर अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया इस योजना को अन्य योजनाओं के अनुमोदन हेतु उदाहरण स्वरूप नही माना जावेगा।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

19.2.14

अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा / मा.प्लान / बी.पी.सी.(एल.पी.) / 2014 डी. 248
दिनांकः 19|2|2014

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. आयुक्त (पूर्व) / पश्चिम / एलपीसी / भूमि, जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त, जोन–..............................जविप्रा, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
8. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
9. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

19.2.14

अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।